आवश्यक

संख्या: 60/2020/1933/12-2-2020-एस.52/2003 टी0सी0

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 24 नवम्बर 2020

विषय: प्रदेश के कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता एवं नकली बीजों की बिक्री रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में खरीफ, रबी एवं जायद सीजन की समस्त फसलों के बीजों की व्यवस्था विभिन्न बीज वितरक संस्थाओं के माध्यम से की जा रही है। गुणवत्तायुक्त बीजों की आपूर्ति हेतु बीज अधिनियम, 1966, बीज नियम, 1968 एवं बीज नियंत्रण आदेश, 1983 में पर्याप्त व्यवस्था की गयी है, जिसके क्रम में प्रदेश में उच्च गुणवत्ता एवं नकली बीजों की बिक्री रोकने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या: 1262(1)/12-2-06 दिनांक 10 अप्रैल, 2006, शासनादेश संख्या: 2626/12-2-2009-एस.52/2003 दिनांक 30 जून, 2009 एवं शासनादेश संख्या: 2070/12-2-2011 दिनांक 13 जून, 2011 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि घटिया बीजों की आपूर्ति के साथ-साथ गुणवत्ता नियंत्रण में हो रही व्यवहारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए उक्तांकित शासनादेशों के क्रम में निम्न बिन्दुओं को समावेशित किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) बीज विक्रय करने वाली समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थाओं/विक्रय केन्द्रों द्वारा बीज क्रय करने वाले कृषकों को रसीद अवश्य उपलब्ध करायी जाए। रसीद पर कृषक का नाम एवं पता के साथ बीज आपूर्ति करने वाली संस्था का नाम, बोरी का टैग संख्या तथा लाट संख्या का भी उल्लेख किया जाना अनिवार्य कराया जाए जिससे मानक के अनुरूप बीज न होने पर संबंधित संस्था के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके तथा कृषकों को संबंधित संस्था से क्षतिपूर्ति मिलने में कठिनाई न हो। साथ ही बीज विक्रय केन्द्र के बाहर बिक्री की जा रही समस्त प्रजातियों का विवरण यथा प्रजाति का नाम, उत्पादन, रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रति हेक्टेयर आवश्यक बीज, बीज विक्रय दर आदि का अंकन किया जाना अनिवार्य होगा।

(2) उच्च गुणवत्तायुक्त बीज कृषकों को उपलब्ध कराने को दृष्टिगत रखते हुए समय-समय पर बीज निरीक्षक लक्ष्यों के सापेक्ष अधिक से अधिक नमूना ग्रहीत करने की कार्यवाही की जाए। बीज आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के स्टाक से बीज निरीक्षकों द्वारा प्रत्येक सीजन के प्रारम्भ में प्रमाणित टैग स्टाक के प्रत्येक लाट से प्रतिनिधित्व करने वाले बीज नमूनें ग्रहीत किए जायें तथा अमानक पाये जाने पर बीज अधिनियम, 1966, बीज नियम, 1968 एवं बीज नियंत्रण आदेश, 1983 में निहित प्राविधानान्तर्गत कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा पंजीकृत बीज उत्पादक संस्थाओं/बीज उत्पादकों की सूची/अन्य विवरण संबंधित जिला कृषि अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायें ताकि उसका सत्यापन किया जा सके।

(4) प्रदेश में स्थापित बीज विधायन संयंत्रों द्वारा बीज उत्पादक कृषकों की सूची, उत्पादित कराये गये बीजों के इन्टेक की सूचना एवं तैयार किए गए बीजों का विवरण संबंधित जिला कृषि अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।

(5) जिला कृषि अधिकारी अपने जनपद में स्थापित बीज विधायन संयंत्रों का समय-समय पर निरीक्षण करेंगे तथा इन्टेक किए जा रहे बीजों का सत्यापन के साथ तैयार बीजों की गुणवत्ता नमूना ग्रहीत करते हुए सुनिश्चित करायेंगे तथा उसकी संकलित सूचना कृषि निदेशालय के बीज एवं प्रक्षेत्र अनुभग को उपलब्ध करायेंगे।

(6) प्रदेश में स्थापित बीज विधायन संयंत्र यदि अपने जनपद के अलावा अन्य जनपदों में बीज व्यवसाय करते हैं तो प्रदेश स्तरीय बीज व्यवसाय लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। (7)

प्रदेश में बिक्री की जा रही रिसर्च/इम्प्रूब्ड प्रजातियों के लिए संबंधित प्रजाति के विकसित/ उत्पादक फर्म/संस्था द्वारा प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि विज्ञान केन्द्र/उपकार/ कृषि विभाग/अन्य भारत सरकार के शोध केन्द्रों के माध्यम से कम से कम 02 वर्ष का ट्रायल/डेमों करने के पश्चात संबंधित संस्था की संस्तुति उपरान्त ही प्रदेश में बिक्री हेतु आवेदन कर सकेगी।

(8) प्रदेश के कृषकों को प्रमाणित/आधारीय/संकुल/संकर/सत्यापित बीज विभिन्न उत्पादक कम्पनियों द्वारा वितरित किए जा रहे हैं तथा कम्पनियों द्वारा जिस नाम/ब्राण्ड से स्वयं विकसित/उत्पादित करेगी, उसी नाम से वह बिक्री कर सकेगी साथ ही अन्य कम्पनी/संस्था को उसी नाम से ही बिक्री करने हेतु अधिकृत कर सकेगी।

(9) बीज अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति हेतु संबंधित कृषकों को बीज क्रय की क्षतिपूर्ति का दावा करते समय बीज विक्रेता से प्राप्त रसीद उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि कृषकों के स्तर से बीज से संबंधित शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित फर्म/संस्था के प्रतिनिधि जिला कृषि अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए तत्काल शिकायत का निराकरण करेंगे।

(10) पूर्व में ऐसी घटनायें प्रकाश में आयीं हैं जहॉ बीज व्यापारियों द्वारा कृषकों को नकली/ अमानक बीजों की बिक्री किए जाने से कृषकों को भारी नुकसान उठाना पडा है। ऐसे कृत्यो पर कडाई से रोक लगाना आवश्यक है। जिन लाइसेंसी बिक्री केन्द्रों/दुकानदारों द्वारा यह कृत्य किया जाता है उनके लाईसेन्स निरस्त करने की कार्यवाही हो। जो निर्माता इस कार्य में लिप्त पाये जाते हैं उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए संबंधित राज्य जहॉ से लाइसेंस प्राप्त किया है, उनके बीज लाइसेंस निलंबित/निरस्त कराने का अनुरोध किया जाए। साथ ही साथ आवश्यक वस्तुअधिनियम,1955 के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 आदि की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उक्त के अतिरिक्त नकली/अमानक बीजों की बिक्री से कृषकों को होने वाली क्षतियों का मुआवजा संबंधित बीज प्रदायकर्तासे दिलाया जाए। ऐसे प्रकरणों में जिलाधिकारी द्वारा कृषकों को हुई क्षति का अपने स्तर से आकलन कराकर संबंधित फर्म/व्यापारी द्वारा कृषकों को क्षतिपूर्ति कराई जायेगी।

(11) यदि कोई व्यापारी बिना अनुमति प्राप्त किए बीज का व्यवसाय करते पाया जाये तो संबंधित व्यापारी के विरूद्ध बीज नियंत्रण आदेश, 1983 धोखाधडी तथा वाणिज्य कर अधिनियम के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाय। जनपद में कृषकों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराना एवं नकली बीजों की बिक्री रोके जाने हेतु जिला कृषि अधिकारी पूर्ण उत्तरदायी होंगे।

3. अत: कृपया तद्नुसार कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने के उददेश्य से बीज अधिनियम, 1966, बीज नियम, 1968 एवं बीज नियंत्रण आदेश, 1983 तथा वाणिज्य कर अधिनियम का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 60/2020/1933/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. रजिस्ट्रार, यू0पी0कोआपरेटिव सोसायटीज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. प्रबंध निदेशक, यू0पी0स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, लखनऊ।
7. निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ।
8. अपर कृषि निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(विद्या शंकर सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।